संख्या-1294 /47-का-3-2020-9/30/2020

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 14 दिसम्बर,** 2020

विषय:- मण्डल/जनपदीय कार्यालयों में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासकीय कार्यो का समय से निस्तारण किये जाने हेतु कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1236/47-का-3-2020-9/30/2020 दिनांक 02.12.2020 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 02.12.2020 में दिये गये निर्देशों के बावजूद अधिकांश मण्डलों/जनपदों से कृत कार्यवाही की आख्या/सूचना निर्धारित प्रारूप पत्र पर उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।

2- अत: अनुरोध है कि कृपया अपने मण्डल/जनपद के कार्यालयों की सप्ताह में न्यूनतम एक बार समय से उपस्थिति का औचक निरीक्षण सुनिश्चित करते हुए अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं जिन कार्यालयों में अधिक संख्या में अधिकारी/कर्मचारी अनुपस्थित पाये जाते हैं, वहाँ पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। कृपया उक्तानुसार कृत कार्यवाही की आख्या/सूचना निम्न प्रारूप पर प्रत्येक शुक्रवार को कार्मिक अनुभाग-3 की Email-karmiksection3@gmail.com पर अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	कुल कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	अनुपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	अभ्युक्ति/अनुपस्थिति के संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव